



UPBN010041452026

न्यायालय सत्र न्यायाधीश, बदायूँ

अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र संख्या-1541/2026

राजेश कुमार उर्फ राजेश गंगवार

बनाम

राज्य

परिवाद संख्या-33064/2024

धारा-409, 420 भा०दं०सं०

थाना-इस्लामनगर, जिला-बदायूँ।

14-07-2026

आज यह अग्रिम जमानत प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत हुआ। प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अग्रिम जमानत प्रार्थना- पत्र पर बल न देने का कथन किया गया तथा "बल न देने का" पृष्ठांकन अग्रिम जमानत प्रार्थना-पत्र व आदेश पत्र पर किया गया। अतः अग्रिम जमानत प्रार्थना-पत्र बल न दिए जाने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है।

आदेश

तदुसार प्रार्थी/अभियुक्त राजेश कुमार उर्फ राजेश गंगवार की ओर से प्रस्तुत यह अग्रिम जमानत प्रार्थना-पत्र बल न देने के कारण निरस्त किया जाता है।

(विवेक संगल)

सत्र न्यायाधीश,

बदायूँ।

J.O.Code-U.P.6516

भूपेश